न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी RAS केम मणाधुरा

वाद सं. 133/2021 ज/ऽ 88 RTA

वादी — बनाम — अभिवादीगण

सुरताराम पुत्र लाधुराम — राजस्थान राज्य जरिये

जाति जैन निवासी — पटवारी, पचपदरा

मधुपुरा उ.प. पचपदरा

वाद हेतु रेकर्ड दुरुस्ती की घोषणा धारा 88 RTA

निर्णय — दिनांक 02-10-2024

वादी के वाद-पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सरदक मौजा पिरडावी के खेत खसरा नम्बर 37 रकबा 2.09 बीघा, खसरा सं. 40 रकबा 3.07 बीघा आई हुई है. वादग्रस्त आराजी में वादी के कब्जा मालिकाना खातेदारी की रही. वादग्रस्त आराजी के रासदक रेकर्ड में वादी का नाम अमलदरामद करते वक्त राजस्वकर्मचारी हल्का पटवारी द्वारा सहवन से लिपिकीय त्रुटि वंश परेत बोलचाल वाला नाम सुजिया पुत्र लाडिया उसके बाद में सुजाराम पुत्र लादाराम रासदक रेकर्ड में दर्ज कर दिया, जबकि वादी का सही नाम सुरताराम पुत्र लाधुराम है।

वादी के नाम आधारकार्ड, बचत खाता, राशनकार्ड, बिजली पानी के कनेक्शन, अंकतालिका, व अन्य दस्तावेजात में सही नाम दर्ज है।

अन्त में निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजी में सही नाम कीघोषणा जावे।

उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर बालोतरा
केम..... 20

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:42:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

वादी के वाद को दर्ज कर जरिये समन प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

आज दि० 2/10/2021 को केम्प कोई मण्डाफुरा प्रशासन गांवों के संग अभियान में आयोजित शिविर में वादी के वाद-पत्र में अंकित तथ्यों की जांच मौके में की गई, नायब तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा दौरान जाँच में वादी का नाम दुरुस्ती करने में किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होना बताया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादी व पेरोकार सरकार को सुना गया वाद अवलोकन से पाया गया कि सभी दस्तावेजात व वादग्रस्त जाराजी में वादी का नाम गलत होने से वादी को परेशानी होती है, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में सही नाम सुरताराम पुत्र लादूराम है, ऐसी स्थिति में वादी का गलत नाम को दुरस्त कराया किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादी के वाद को स्वीकार मौजा चिरडाणी के खेत खसरा नम्बर 37 रकबा 2.09 बीघा, खसरा नं. 38 रकबा 01.14 बीघा व ख.नं. 40 रकबा 3.07 बीघा वादग्रस्त जाराजी में वादी का गलत नाम सुजाराम पुत्र लादाराम के स्थान पर सुरताराम पुत्र लादुराम किया जाता है, तहसीलदार पचपदरा तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

आज दि० 02-10-2021 को केम्प कोई मण्डाफुरा में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:42:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner